R.N.I.- UP-
HIN/2001/3996
ISSN- 2581-6128

स्थापन दिवस के 24वें वर्ष में प्रवेश

संयम • संस्कार • सन्तुलन

# शहर समता

(हिंदी साप्ताहिक)

www.shaharsamta.com

शोध पत्र

'कर्मक्षेत्र रणभूमि यही है, मानव हो तुम कर्म करो।
कर्म से कभी विमुख न रहना, मन में यह संकल्प करो।'-
उमेश श्रीवास्तव

संस्थापकः स्व0 कन्हैया लाल, स्व0 श्रीमती साधना श्रीवास्तव
सम्पादकः उमेश चन्द्र श्रीवास्तव

विमर्श अंक

वर्ष 24 अंक 21 रविवार, इलाहाबाद, 13 अक्टूबर 2024 पृष्ठ 6 विशेषांक मूल्यः 3 रू0

## संपादकीय

### नागरी लिपि पर विशेष

भाषा और लिपि का मतलब,
कहां बताऊं, कैसे मैं ?
दोनों में अंतर संबंध है ,
यह कहने का आशय है ।

भाषा और लिपि के बेजोड़ सम्बन्धों पर देव नागरी लिपि विशेष देने का मतलब भी यही है कि आप सब इसके बारीक संश्लेषण को समझ सके । इस विशेष का आकार छोटा सा ही है, लेकिन गागर में सागर भरने का प्रयत्न हुआ है ।

प्रोफेसर रवि कुमार मिश्रा का **'देवनागरी लिपि एक सामान्य निर्वचन'** इस मामले में सार्थक जानकारी से परिपूर्ण है । डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय का **'नागरी का नामकरण'** अपने आप में विशेष है। इसमें वर्तमान नागरी अक्षरों की उत्पत्ति विषयक विशेष जानकारी दी गई है । ओमप्रकाश मिश्रा 'शैलेंद्र' ने **'देवनागरी का इतिहास'** में अपनी बातों को बड़े सजीले ढंग से प्रस्तुत किया है । डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने **'हिंदी व देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार में संलग्न संस्थाएं'** का सटीक विश्लेषण किया है । वहीं रंजना मिश्रा व डॉक्टर चित्रा चतुर्वेदी का भी आलेख सार्थक है ।

देवनागरी लिपि पर विशेष निकालने का प्रयास मेरा दो-तीन वर्षों से था, लेकिन यह प्रयास सार्थक तभी हो सका जब आचार्य डॉक्टर शंभु नाथ त्रिपाठी 'अंशुल' जी का विशेष योगदान हुआ । इस विशेष की सार्थकता कितनी सुलभ है इसका निर्णय सुधी पाठक ही कर सकेंगे । अवसर मिला तो देवनागरी लिपि पर और बड़ा और व्यापक विशेषांक देने का प्रयास होगा । विशेषांक में शामिल सभी लेखकों को विशेष धन्यवाद । अंक कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ।

अंत में -

**देवनागरी में देव शब्द का,**
**अपना-अपना विश्लेषण ।**
**कृपा रहे जन मन भावों की,**
**चलता रहे यह संश्लेषण ।**

**-उमेश श्रीवास्तव**

# नागरी लिपि पर विशेष

## देवनागरी लिपि -एक सामान्य निर्वचन

**रवि कुमार मिश्र**

भाषा और लिपि अन्तर्सम्बन्धित हैं। यह कहने का आशय यह है कि कोई भाषा किसी लिपि विशेष में ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ ढंग से अभिव्यक्त कर सकती है। सर्वश्रेष्ठ ढंग से अभिव्यक्त कहने का अर्थ है कि अपेक्षित वर्ण, मानक, व्याकरण, के अनुरूप अभिव्यक्त करना। इसके साथ-साथ उस भाषा समुदाय के लोगों के मध्य अन्तःक्रिया और संवाद सम्बन्धित भाषा की लिपि में ही सहजता से हो सकता है। किसी भी समाज या संस्कृति में भाषा या बोली अपनी लिपि के साथ ही अपने सदस्यों के मध्य अपने अनुभवों की साझेदारी कर सकता है। ऐसा होने पर ही संस्कृति एक पीढी से दूसरी पीढी तक हस्तांतरित हो सकती है। यह बात गंभीर सांस्कृतिक विरासत की विशेष समझ की दृष्टि से और प्रासंगिक हो जाती है। उदाहरण के लिए अभी जब बिहार में जमीन सर्वेक्षण की बात चल रही है तो एक लिपि भी चर्चित हो गई है- कैथी लिपि। इस लिपि के विशेषज्ञ जरूर होंगे, पर इस लिपि को समझना एक चुनौती है। एक बात यहां यह उल्लेखनीय हो जाती है कि प्रायः हम अपनी मातृभाषा की लिपि से परिचित होते हैं अतः अन्य लिपियों की विशिष्टता क्या है, हमें इसकी समझ बहुत कम होती है। इसके साथ-साथ एक विरोधाभास यह भी है कि अगर हम भाषा, व्याकरण, साहित्य आदि के विद्यार्थी नहीं हैं अथवा हमारी अभिरूचि इन पक्षों पर नहीं है तो हम अपनी लिपि की कहानी से भी परिचित नहीं होते हैं, उसकी विशिष्टता से भी परिचित नहीं होते हैं। प्रायः हम इतना ही जानते हैं कि लिपि बांयी ओर से दांयी ओर लिखी जाती है, दांयी ओर से बांयी ओर लिखी जाती है। गंभीर अध्येता इस तथ्य से परिचित हैं कि समतल ढंग से लिखने से हटकर नीचे से उपर और उपर से नीचे की ओर भी लिखने की शैलियां हैं। आज जब मोबाईल पर विविध तरह की वर्णमाला उपलब्ध है, वहां हिन्दी की अभिव्यक्ति भी रोमन में लोग कर रहे हैं, देवनागरी के अंक का प्रयोग भी कर रहे हैं, ऐसे में लिपि पर चर्चा बेंहद जरूरी हो जाती है। ऐसा अगर चलता रहा तो हम संचित अनुभवों से भी वंचित हो जायेंगे और अपनी लिपि की विशिष्टता से भी अपरिचित रह जायेंगे। अभी जब हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन जारी है तो हम राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा की चर्चा में स्वयं को शामिल तो करते हैं, राजलिपि पर हमारा ध्यान कम ही जाता है। आइए, देवनागरी लिपि पर एक सामान्य समझ विकसित करने का प्रयास करें।

नागरी लिपि की समझ विकसित करने के लिए हमें सीमित स्थान में हरदेव बाहरी के दृष्टिकोण पर एक सरसरी नजर डालनी होगी। डॉ0 हरदेव बाहरी की लोकप्रिय कृति में यह बताया गया है कि कुछ पाश्चात्य विद्वानों जैसे-मैक्स मूलर, बर्नेल, वूह्लर आदि ने अलग-अलग सन्दर्भों के आधार क्रमशः इस तरह का विचार व्यक्त किया है कि चौथी शताब्दी ई. पूर्व, चौथी या पांचवी सदी ई. पूव.र्तथा 500 ई. पूव.र्से कुछ ही पहले लिपि विकसित हुई। उन्होंने अन्य सन्दर्भो के आधार पर इस तरह की धारणा से असहमति जाहिर की है। इस तरह की धारणा संभवतः इसलिए बनी कि श्रुति परम्परा या विद्यार्थियों द्वारा गुरूओं के साथ पारम्परिक रूप से कंठस्थ कर लेने की विशिष्ट स्थिति या प्रचलन से यह त्रुटिपूर्ण अनुमान लगा लिया गया कि ऐसा ही हुआ होगा। यह धारणा पूर्णतया गलत है क्योंकि ऐसे कई साक्ष्य हैं। देवनागरी लिपि से पूर्व भी भारत में कई लिपियां रही हैं- जैसे ब्राह्मी, खरोष्ठी, नाग, द्राविड, कनारी इत्यादि। ब्राह्मी लिपि का विकास आगे चलकर दक्षिणी और उत्तरी में हुआ। यह उत्तरी कालांतर में गुप्त लिपि के नाम से जानी गई। इस गुप्त लिपि से ही सिद्ध मात्रिका और शारदा तथा और आगे चलकर कुटिल लिपि या कुटिलाक्षरा का विकास हुआ। इसी से आगे चलकर पश्चिम में अर्द्धनागरी, पूर्व में पूर्वी नागरी, दक्षिण में नन्दी नागरी और मध्य देश में मध्य नागरी का विकास हुआ। इतनी लम्बी अवधि में अक्षरों की आकृति, शिरोरेखा इत्यादि में परिवर्तन जरूर हुआ। धीरेन्द्र वर्मा ने भी अपनी कृति हिन्दी भाषा का इतिहास में इसी तरह की पृष्ठभूमि का वर्णन किया है।

हरदेव बाहरी ने यह बताया है कि नागरी या देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ( सातवीं आठवीं सदी ई0) के एक शिलालेख में हुआ है। आठवीं सदी में राष्ट्रकूट नरेशों और नौंवी सदी में बडौदा के ध्रुवराज की राजाज्ञाओं में देवनागरी का प्रयोग हुआ है। विजयनगर और कोंकण मे ंदेवनागरी का प्रयोग हुआ है जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि पहले देवनागरी लिपि का विकास दक्षिण भारत में हुआ और बाद मे ंउत्तर भारत में हुआ। आठवीं से लेकर अठारहवीं सदी तक मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा, मारवाड़ के परिहार, मध्य देश के हैहय, राठौर और कल्चुरी राजा, कन्नौज के गहरवार और गुजरात के सोंलंकी राजा द्वार भी किया गया है।

देवनागरी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ओझा को उदधृत करते हुए धीरेन्द्र वर्मा ने यह बताया है कि इसका एक सम्बन्ध नागर ब्राह्मणों की लिपि से बताया जाता है। कुछ लोग नागरी लिपि को नगर से सम्बद्ध कर देखते हैं। एक दृष्टिकोण यह भी है कि तांत्रिक यंत्रों के चिन्ह देवनगर कहे जाते थे और अक्षरों की साम्यता है अतः देवनागरी। पं. आर. श्याम शास्त्री ने इस आशय का विचार व्यक्त किया ंहै। बाहरी ने चन्द्रगुप्त द्वितीय के देव और पाटलिपुत्र को नगर कहे जाने से सम्बद्ध कर देवनागरी शब्द की व्युत्पत्ति बतायी है। इसे हम सांस्कृतिक प्रसार की मानवशास्त्रीय समझ के आधार पर यह कह सकते हैं कि जैसे दक्षिण में नन्दिनगर से नन्दि नागरी का विकास हुआ वैसे ही उत्तर में देवनागरी का विकास हुआ। वस्तुतः इस लिपि के नामकरण को लेकर हम अनुमान ही कर सकते हैं। प्रत्येक दृष्टिकोण में भावना, सरलीकरण और तथ्यात्मकता के बावजूद कहीं न कहीं सीमाएं भी हैं।

देवनागरी लिपि आज काफी लोकप्रिय है। हम अपनी मातृभाषा के कारण अगर इससे एक भावनात्मक लगाव रखते हैं तो हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि आज हिन्दी भाषा में बहुत सारी कृतियों का अनुवाद उपलब्ध है, संगणक में विविध तरह के कीबोर्ड उपलब्ध है, अक्षरों की बनावट या फांट उपलब्ध हैं, लोग मोबाइल पर लम्बी चैटिंग में आसानी से देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका कारण इस लिपि की विशिष्टता है।

भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतिनिधित्व देवनागरी में ही हो सकता है। ऐसा कहने का मतलब यह है कि बहुत बडे क्षेत्र में जहां की विविध तरह की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है वहां भी देवनागरी लिपि ही व्यवहार में आती है। संस्कृत के साथ-साथ अन्य कई भाषाएं जैसे गुजराती, पंजाबी आदि की लिपियां भी देवनागरी है अथवा देवनागरी जैसी है। संस्कृत मात्र एक भाषा नहीं है वह भारत का ज्ञान कोष है उसमें जो उपलब्ध है उसके लिए हम इस लिपि का ही प्रयोग करते हैं। भारत के अधिकांश हिस्से में देवनागरी के अक्षरों से लोग परिचित हैं। यहां तक कि जिन बोलियों के पास अपनी लिपि रही है जैसे मैथिली में उस में आज जो साहित्य लिखा जा रहा है वह देवनागरी में ही है। ऐसे कई उदाहरण हैं। एक सामान्य भारतीय जो किसी तरह से आग्रही नहीं हो वह इस लिपि से परिचित है।

देवनागरी सुगम है। सुगम इस अर्थ में कि यहां जो कहा जा रहा है, उच्चरित किया जा रहा है और जो लिखा जा रहा है उसमें अन्तर नहीं होता है। जैसे अंग्रेजी के एफ का बोलना और लिखना अलग-अलग है, वैसा देवनागरी में नहीं है। देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशिष्ट चिन्ह है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक चिन्ह एक विशिष्ट ध्वनि को ही अभिव्यक्त करता है। यह इसकी वैज्ञानिकता को प्रमाणित करता है।

अंग्रेजी में बहुत सारे अक्षर उच्चरित नहीं होते हैं, अलग-अलग तरह से उच्चरित होते हैं, किसी अक्षर विशेष के साथ सम्बद्ध होने पर एक विशेष तरह का उच्चारण अपेक्षित होता है। ऐसा हिन्दी के साथ नहीं है।

स्वर और व्यंजन का क्रम बहुत ही वैज्ञानिक रीति से क्रमबद्ध किया गया है। वे ह्स्व हैं या दीर्घ इसे वर्ण की लगभग समान आकृति में व्यवस्थित किया गया है। इतना ही नहीं व्यंजन का जो संयोग होता है वह भी विधि ऐसी है जिसे हम अपूर्ण नहीं कह सकते हैं।

कोई भी लिपि अपने सौंदर्य से प्रभावित करती है। देवनागरी लिपि के जो अक्षर हैं, वे एक विशिष्ट ध्वनि के साथ सम्बद्ध होने के अतिरिक्त अत्यन्त आकर्षक हैं। उनकी उपयोगिता और कलात्मक सौंदर्य बोध भी प्रभावित करने वाला है।

एक बात यह भी देखी जाती है कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को देवनागरी में लिखने में स्थान कम लगता है, अंग्रेजी की रोमन लिपि में ज्यादा स्थान लगता है। मनोरंजन या दीपिका या ऐसा ही कोई अन्य नाम हम ले लें।

निः संदेह देवनागरी की सीमाएं हैं और होंगी, पर हमें इसकी उपयोगिता, सरलता, लोकप्रियता के पहलूओं पर ही स्वयं को केन्द्रित रखना होगा।

# नागरी का नामकरण

डॉ. पूर्णिमा मालवीय

वर्तमान नागरी अक्षरों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में महामहोपाध्याय पं. गौरी शंकर हीराचन्द ओक्षा ने लिखा है-

'वर्तमान नागरी लिपि का मूल अर्थात् प्राचीन रूप मौर्यवंश के प्रतापी राजा अशोक के शिलालेखों की लिपि में मिलता है; जो (लेख) विक्रम सं. से करीब 200 वर्ष पूर्व के हैं और काठियावाड़ से उड़ीसा तक तथा नेपाल की तराई से मैसूर तक अनेक स्थानों से मिले हैं। अशोक के समय यह लिपि बहुधा सारे हिन्दुस्तान में वैसी ही प्रचलित थी जैसी कि इस समय नागरी लिपि है।'

अशोक के समय की लिपि का नाम ललित विस्तर में 'ब्राह्मी' लिपि मिलता है और 'नित्याषोऽषिकार्णव' के भाष्य 'सेतुबन्ध' में भास्करानन्द उसका नाम नागर (नागरी) लिपि होना मानते हैं, क्योंकि वे लिखते हैं नागरी लिपि में 'ए' का रूप त्रिकोण है जैसा कि अशोक के लेखों में मिलता है।

'नागरी' शब्द देव नागरी का संक्षिप्त रूप है और इस लिपि का नाम देवनागरी कहलाने का कारण आर0 शामा शास्त्री के मतानुसार यह पाया जाता है कि देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिह्नों द्वारा होती थी जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे और वे यंत्र 'देवनगर' कहलाते थे। उन देवनगरों के मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिह्न कालान्तर में अक्षर माने जाने लगे, इसी से उनका नाम 'देवनागरी' हुआ।

यह कहना अनुचित न होगा कि अशोक के लेखों की नागरी लिपि वर्तमान नागरी लिपि से अधिक सरल थी और गुजराती लिपि की तरह उसके अक्षरों के सिर नहीं बनते थे। जैसे नागरी लिपि के प्राचीन और वर्तमान अक्षरों के बीच बड़ा अन्तर है वैसे ही नागरी के प्राचीन और वर्तमान अंकों में भी बड़ा अन्तर है।

देवनागरी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीन ब्राह्मी लिपि पर आधारित बाएँ से दाएँ आबूगीदा है। यह प्राचीन भारत में पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी तक विकसित किया गया था और 7वीं शताब्दी ईस्वी तक नियमित उपयोग में था।

देवनागरी लिपि, जिसमें 14 स्वर और 33 व्यञ्जन सहित 47 प्राथमिक वर्ण हैं, दुनिया में चौथी सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली लेखन प्रणाली है, जिसका उपयोग 120 से अधिक भाषाओं के लिए किया जा रहा है।

इस लिपि की शब्दावली भाषा के उच्चारण को दर्शाती है। रोमन लिपि के विपरीत, इस लिपि में अक्षर केस की कोई अवधारणा नहीं है। यह बाएँ से दाएँ लिखा गया है, चौकोर रूपरेखा के भीतर सममित गोल आकृतियों के लिए एक दृढ़ प्राथमिकता है, और एक क्षैतिज रेखा द्वारा पहचाना जा सकता है, जिसे शिरोरेखा के रूप में जाना जाता है, जो पूर्ण अक्षरों के शीर्ष के साथ चलती है। एक सरसरी दृष्टि में, देवनागरी लिपि अन्य भारतीय लिपियों जैसे पूर्वी नागरी लिपि या गुरमुखी लिपि से अलग दिखाई देती है, लेकिन एक निकटतम अवलोकन से पता चलता है कि वे कोण और संरचनात्मक जोर को छोड़कर बहुत समान हैं।

देवनागरी लिपि का उपयोग करने वाली भाषाएँ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अवधी | कनौजी | कश्मीरी | कांगड़ी | किन्नौरी |
| कुड़माली | कुमाऊँनी | कोंकणी | कोया | खानदेशी |
| खालिङ | खड़िया | गढ़वाली | बंजारा भाषा | गुर्जरी |
| गुरुङ | गोण्डी | चम्बयाली | चाम्लिङ | चुराही |
| चेपाङ भाषा | छत्तिसगढ़ी | छिन्ताङ | जिरेल | जुम्ली |
| तिलुङ | वारली | वासवी | वागडी | वाम्बुले |
| हिन्दी | संस्कृत | मराठी | नेपाली | डोगरी |

**परिचय**

अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बायें से दायें लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खिंची होती है (कुछ वर्णों के ऊपर रेखा नहीं होती है) जिसे शिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों (रोमन, अरबी, चीनी आदि) में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इससे वैज्ञानिक और व्यापक लिपि शायद केवल अध्वव लिपि है। भारत की कई लिपियाँ देवनागरी से बहुत अधिक मिलती-जुलती हैं, जैसे- बांग्ला, गुजराती, गुरुमुखी आदि। कम्प्यूटर प्रोग्रामों की सहायता से भारतीय लिपियों को परस्पर परिवर्तन बहुत आसान हो गया है।

भारतीय भाषाओं के किसी भी शब्द या ध्वनि को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है और फिर लिखे पाठ को लगभग 'हू-ब-हू' उच्चारण किया जा सकता है, जो कि रोमन लिपि और अन्य कई लिपियों में सम्भव नहीं है, जब तक कि उनका विशेष मानकीकरण न किया जाये, जैसे आइट्रांस या अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत लिप्यन्तरण वर्णमाला ।

इसमें कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। अक्षरों की क्रम व्यवस्था (विन्यास) भी बहुत ही वैज्ञानिक है। स्वर-व्यंजन, कोमल-कठोर, अल्पप्राण-महाप्राण, अनुनासिक्य-अन्तस्थ-उष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक हैं। एक मत के अनुसार देवनगर (काशी) में प्रचलन के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा।

भारत तथा एशिया की अनेक लिपियों के संकेत देवनागरी से अलग हैं, परन्तु उच्चारण व वर्ण-क्रम आदि देवनागरी के ही समान हैं, क्योंकि वे सभी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं (उर्दू को छोड़कर)। इसलिए इन लिपियों को परस्पर आसानी से लिप्यन्तरित किया जा सकता है। देवनागरी लेखन की दृष्टि से सरल, सौन्दर्य की दृष्टि से सुन्दर और वाचन की दृष्टि से सुपाठ्य है।

**देवनागरी' शब्द की व्युत्पत्ति**

देवनागरी या नागरी नाम का प्रयोग 'क्यों' प्रारम्भ हुआ और इसका व्युत्पत्तिपरक प्रवृत्तिनिमित्त क्या था- यह अब तक पूर्णतः निश्चित नहीं है।

(क) 'नागर' अपभ्रंश या गुजराती 'नागर' ब्राह्मणों से उसका सम्बन्ध बताया गया है। पर दृढ़ प्रमाण के अभाव में यह मत सन्दिग्ध है।

(ख) दक्षिण में इसका प्राचीन नाम 'नंदिनागरी' था। हो सकता है 'नन्दिनागर' कोई स्थानसूचक हो और इस लिपि का उससे कुछ सम्बन्ध रहा हो।

(ग) यह भी हो सकता है कि 'नागर' जन इसमें लिखा करते थे, अतः 'नागरी' अभिधान पड़ा और जब संस्कृत के ग्रंथ भी इसमें लिखे जाने लगे तब 'देवनागरी' भी कहा गया।

(घ) सांकेतिक चिह्नों या देवताओं की उपासना में प्रयुक्त त्रिकोण, चक्र आदि संकेतचिह्नों को 'देवनागर' कहते थे। कालान्तर में नाम के प्रथमाक्षरों का उनसे बोध होने लगा और जिस लिपि में उनको स्थान मिला- वह 'देवनागरी' या 'नागरी' कही गई। इन सब पक्षों के मूल में कल्पना का प्राधान्य है, निश्चयात्मक प्रमाण अनुपलब्ध हैं।

# देवनागरी लिपि के गुण

- रंजना मिश्रा

भारतीय भाषाओं के लिये वर्णों की पूर्णता एवं सम्पन्नता (52 वर्ण, न बहुत अधिक न बहुत कम)।

एक ध्वनि के लिये एक सांकेतिक चिह्न -- जैसा बोलें वैसा लिखें।

लेखन और उच्चारण और में एकरुपता -- जैसा लिखें, वैसे पढ़े (वाचें)।

एक सांकेतिक चिह्न द्वारा केवल एक ध्वनि का निरूपण -- जैसा लिखें वैसा पढ़ें।

उपरोक्त दोनों गुणों के कारण ब्राह्मी लिपि का उपयोग करने वाली सभी भारतीय भाषाएँ 'स्पेलिंग की समस्या' से मुक्त हैं।

स्वर और व्यंजन में तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक क्रम-विन्यास - देवनागरी के वर्णों का क्रमविन्यास उनके उच्चारण के स्थान (ओष्ठ्य, दन्त्य, तालव्य, मूर्धन्य आदि) को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ण-क्रम के निर्धारण में भाषा-विज्ञान के कई अन्य पहलुओ का भी ध्यान रखा गया है। देवनागरी की वर्णमाला (वास्तव में, ब्राह्मी से उत्पन्न सभी लिपियों की वर्णमालाएँ) एक अत्यन्त तर्कपूर्ण ध्वन्यात्मक क्रम (ज्प्दहूग्म् दी) में व्यवस्थित है। यह क्रम इतना तर्कपूर्ण है कि अन्तरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक संघ (घ्ईं) ने अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला के निर्माण के लिये मामूली परिवर्तनों के साथ इसी क्रम को अंगीकार कर लिया।

वर्णों का प्रत्याहार रूप में उपयोग : माहेश्वर सूत्र में देवनागरी वर्णों को एक विशिष्ट क्रम में सजाया गया है। इसमें से किसी वर्ण से आरम्भ करके किसी दूसरे वर्ण तक के वर्णसमूह को दो अक्षर का एक छोटा नाम दे दिया जाता है जिसे 'प्रत्याहार' कहते हैं। प्रत्याहार का प्रयोग करते हुए सन्धि आदि के नियम अत्यन्त सरल और संक्षिप्त ढंग से दिए गये हैं (जैसे, आद् गुणः)

देवनागरी लिपि के वर्णों का उपयोग संख्याओं को निरूपित करने के लिये किया जाता रहा है। (देखिये कटपयादि, भूतसंख्या तथा आर्यभट्ट की संख्यापद्धति)

मात्राओं की संख्या के आधार पर छन्दों का वर्गीकरण : यह भारतीय लिपियों की अद्भुत विशेषता है कि किसी पद्य के लिखित रूप से मात्राओं और उनके क्रम को गिनकर बताया जा सकता है कि कौन सा छन्द है। रोमन, अरबी एवं अन्य में यह गुण अप्राप्य है।

लिपि चिह्नों के नाम और ध्वनि में कोई अन्तर नहीं (जैसे रोमन में अक्षर का नाम 'बी' है और ध्वनि 'ब' है)

लेखन और मुद्रण में एकरूपता (रोमन, अरबी और फ़ारसी में हस्तलिखित और मुद्रित रूप अलग-अलग हैं)

देवनागरी, 'स्माल लेटर' और 'कैपिटल लेटर' की अवैज्ञानिक व्यवस्था से मुक्त है।

**देवनागरी लिपि के दोष**

(1) कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकण, मुद्रण में कठिनाई। किन्तु आधुनिक प्रिन्टर तकनीक के लिए यह कोई समस्या नहीं है।

(2) कुछ लोग शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक मानते हैं।

(3) अनावश्यक वर्ण (ऋ, ॠ, ऌ, ॡ, ष)– बहुत से लोग इनका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते।

(4) द्विरूप वर्ण (अ, ज्ञ, क्ष, त्र, छ, झ, ण, श) आदि को दो-दो प्रकार से लिखा जाता है।

(5) समरूप वर्ण (ख में रव का, घ में ध का, म में भ का भ्रम होना)।

(6) वर्णों के संयुक्त करने की व्यवस्था एकसमान नहीं है।

(7) अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग में एकरूपता का अभाव।

(8) त्वरापूर्ण लेखन नहीं क्योंकि लेखन में हाथ बार-बार उठाना पड़ता है।

(9) वर्णों के संयुक्तीकरण में र के प्रयोग को लेकर अनेक लोगों को भ्रम की स्थिति।

(11) इ की मात्रा ि() का लेखन वर्ण के पहले, किन्तु उच्चारण वर्ण के बाद।

**देवनागरी लिपि में सुधार**

देवनागरी का विकास उस युग में हुआ था जब लेखन हाथ से किया जाता था और लेखन के लिए शिलाएँ, ताड़पत्र, चर्मपत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र आदि का ही प्रयोग होता था। किन्तु लेखन प्रौद्योगिकी ने बहुत अधिक विकास किया और प्रिन्टिंग प्रेस, टाइपराइटर आदि से होते हुए वह कम्प्यूटर युग में पहुँच गयी है जहाँ बोलकर भी लिखना सम्भव हो गया है। जब प्रिंटिंग एवं टाइपिंग का युग आया तो देवनागरी के यंत्रीकरण में कुछ अतिरिक्त समस्याएँ सामने आयीं जो रोमन में नहीं थीं। उदाहरण के लिए रोमन टाइपराइटर में अपेक्षाकृत कम कुंजियों की आवश्यकता पड़ती थी। देवनागरी में संयुक्ताक्षर की अवधारणा होने से भी बहुत अधिक कुंजियों की आवश्यकता पड़ रही थी। ध्यातव्य है कि ये समस्याएँ केवल देवनागरी में नहीं थी बल्कि रोमन और सिरिलिक को छोड़कर लगभग सभी लिपियों में थी। चीनी और उस परिवार की अन्य लिपियों में तो यह समस्या अपने गम्भीरतम रूप में थी।

इन सामयिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनेक विद्वानों और मनीषियों ने देवनागरी के सरलीकरण और मानकीकरण पर विचार किया और अपने सुझाव दिए। इनमें से अनेक सुझावों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका या उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कम्प्यूटर युग आने से (या प्रिंटिंग की नई तकनीकी आने से) देवनागरी से सम्बन्धित सारी समस्याएँ स्वयं समाप्त हों गयीं।

भारत के स्वाधीनता आंदोलनों में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होने के बाद लिपि के विकास व मानकीकरण हेतु कई व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रयास हुए। सर्वप्रथम बम्बई के महादेव गोविन्द रानडे ने एक लिपि सुधार समिति का गठन किया। तदनन्तर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे ने सुधार योजना तैयार की। सन 1904 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी पत्र में देवनागरी लिपि के सुधार की चर्चा की। परिणामस्वरूप देवनागरी के टाइपों की संख्या 190 निर्धारित की गयी और इन्हें 'केसरी टाइप' कहा गया। आगे चलकर सावरकर बंधुओं ने 'अ' की बारहखड़ी प्रयोग करने का सुझाव दिया (अर्थात् 'ई' न लिखकर अ पर बड़ी ई की मात्रा लगायी जाय)। डॉ गोरख प्रसाद ने सुझाव दिया कि मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग से रखा जाय। डॉ. श्यामसुन्दर दास ने अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक बनाकर देवनागरी के सरलीकरण के प्रयास किये (पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग )। इसी प्रकार श्रीनिवास का सुझाव था कि महाप्राण वर्ण के लिए अल्पप्राण के नीचे ऽ चिह्न लगाया जाय। 1945 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अ की बारहखड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

देवनागरी के विकास में अनेक संस्थागत प्रयासों की भूमिका भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है। 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने नागरी लिपि सुधार समिति के माध्यम से 'अ' की बारहखड़ी और शिरोरेखा से संबंधित सुधार सुझाए। इसी प्रकार, 1947 में आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने बारहखड़ी, मात्रा व्यवस्था, अनुस्वार व अनुनासिक से संबंधित महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। देवनागरी लिपि के विकास हेतु भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कई स्तरों पर प्रयास किये हैं। सन् 1966 में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की गई और 1967 में 'हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' प्रकाशित किया गया। 1983 में 'देवनागरी लिपि तथा हिन्दी की वर्तनी का मानकीकरण' प्रकाशित किया गया।

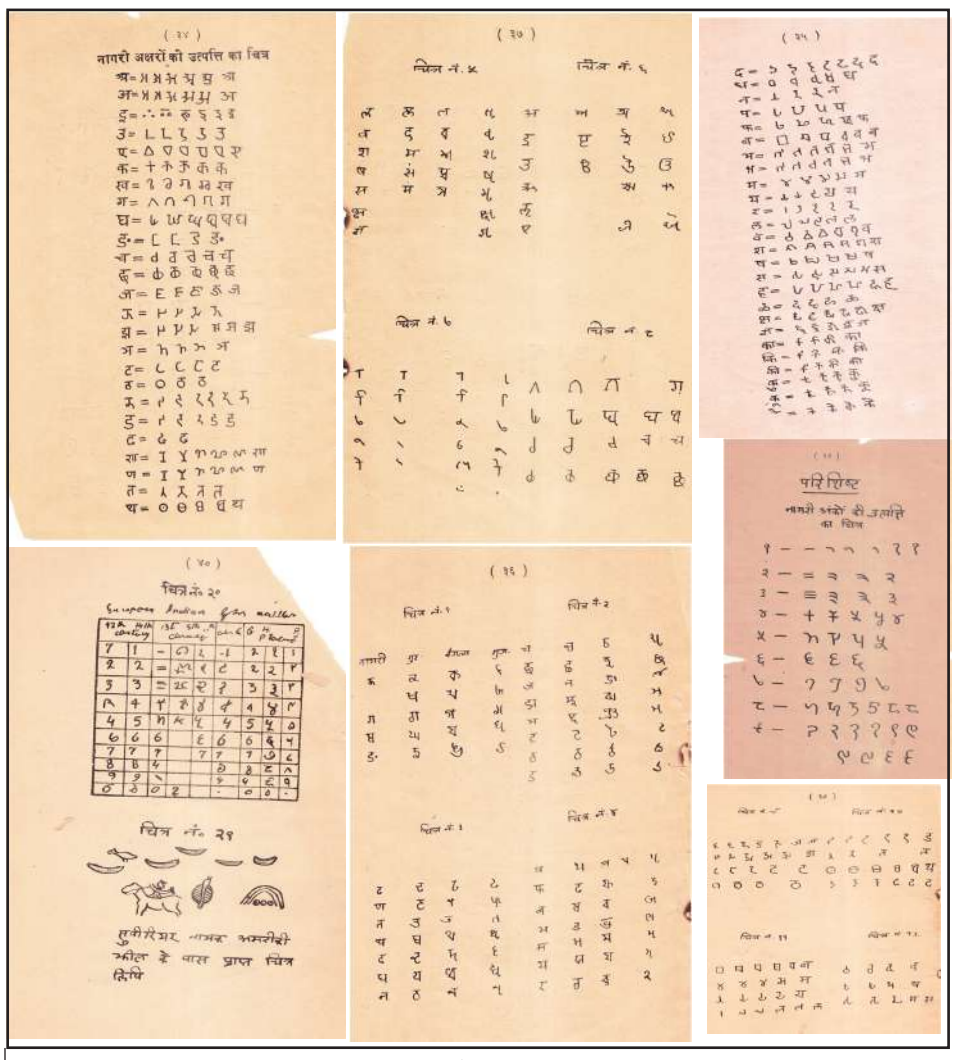




# हिन्दी और देवनागरी

नई दिल्ली, 7 अगस्त। यहां एकत्र हुए भारतवर्ष की समस्त मुख्य भाषाओं के विद्वानों की परिषद ने सर्वसम्मति से यह व्यवस्था दी है कि भारतीय संविधान में भारत संघ की राष्ट्रभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी स्वीकृत की जाये। परिषद ने यह भी निश्चय किया है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तरप्रान्तीय कार्यों में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी प्रतिष्ठित की जाये और इस परिवर्तन कार्य में 10 वर्ष से अधिक समय न लगाया जाये। परन्तु परिषद ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भारत संघ के विभिन्न प्रान्त अपने-अपने क्षेत्र में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने में स्वतंत्र रहेंगे।

राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था देने के लिए भारतवर्ष के विभिन्न भागों के विविध भाषाओं के विद्वानों की यह परिषद हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा बुलाई गई थी, जो दो दिन के अधिवेशन के बाद आज रात को 8 बजे तीन प्रस्ताव पास करके समाप्त हो गई। लगभग एक सौ विद्वानों ने परिषद की बैठक में भाग लिया। काशी विश्वविद्यालय के श्री एन एन गोडबोले सभापति थे। यह एक उल्लेखनीय बात है कि इन प्रस्तावों के प्रस्तावक, अनुमोदनकर्ता व समर्थक सभी अहिन्दीभाषी हैं। आज राष्ट्रभाषा व्यवस्था-परिषद का दूसरा और अन्तिम दिन था। परिषद की कार्रवाई तीसरे पहर दो बजे आरम्भ हुई।

राष्ट्रभाषा सम्बन्धी प्रथम प्रस्ताव उपस्थित करते हुए मद्रास विश्वविद्यालय के डा. कुन्हन राजा (मलयालम) ने कहा कि भारतीय विधान परिषद को राष्ट्रभाषा का प्रश्न संविधान के सबसे पहले निर्देश-पत्र में ही एक बुनियादी सिद्धान्त के रूप में लेना चाहिए था। जो लोग यह कहते हैं कि राष्ट्रभाषा कभी विद्वानों के बनाने से नहीं बना करती, वह जन-साधारण द्वारा अपने आप बना करती है, वे गलती पर हैं। अंग्रेजी भाषा को क्या लन्दन के टैक्सी ड्राइवरों ने बनाया है? भाषाएं हमेशा प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बल पर ही फलती-फूलती हैं। अपने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हिन्दी को केवल राष्ट्रभाषा घोषित करके ही न छोड़ दिया जाये। यदि बाद में भी सब आवश्यक कार्यों में अंग्रेजी को ही बनाये रखना है, तब तो हिन्दी को बतौर नाम की राष्ट्रभाषा स्वीकार करना व्यर्थ है। लिपि के बारे में डा. कुन्हन राजा ने कहा कि जब आप हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान लेते हैं, तो देवनागरी अपने आप उसमें आ जाती है।

हिन्दुस्तान से साभार

# हिन्दी व देवनागरी लिपि के प्रचार-प्रसार में संलग्न संस्थाएँ

**डॉ. ऋचा मिश्रा**

हिन्दी के साहित देवनागरी लिपि के प्रचार-प्रसार में हिन्दी जगत की अनेक पत्र-पत्रिकाओं का योगदान सराहनीय रहा। तथापि इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी संस्थायें भी हैं जो समर्पित भाव से देवनागरी एवं हिन्दी के समुभयन हेतु स्थापित हुईं। उनमें कुछ तो अद्यावधि सक्रिय हैं और कुछ शिथिल हो गई हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

| संस्था का नाम | स्थान | स्थापना वर्ष | संस्थापक |
|---|---|---|---|
| देवनागरी प्रचारिणी सभा | मेरठ | 1881 ई. | पं. गौरीदत्त शर्मा |
| नागरी प्रचारिणी सभा | काशी | 10 मार्च 1983 | |
| हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग | प्रयाग | 10 अक्टू. 1910 | पं. मदन मोहनमा. |
| दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा | मद्रास | 1917 | महात्मा गाँधी |
| तमिलनाडु हिन्दी प्रचार सभा | | 1935 | श्री रघुवर दयालु |
| केरल हिन्दी प्रचार सभा | एरणाकुलम | 1935 | श्री देवदूत विद्यार्थी |
| आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ | विजयवाड़ा | 1935 | श्री पी-सुब्बाराव |
| कर्नाटक हिन्दी प्रचार सभा | बंगलौर | 1935 | श्री सिद्धनाथ पन्त |
| गुरजार विद्यापीठ | गुजरात | 1920 | नवजीवन ट्रस्ट |
| हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद | इलाहाबाद | 20 जन. 1927 | उ.प्र. शासन |
| हिन्दी विद्यापीठ देवघर | देवघर (बिहार) | 1929 | साहित्य महाविद्या. |
| हिन्दी प्रचार सभा | हैदराबाद | 1935 | |
| राष्ट्र भाषा प्रचार समिति | वर्धा | 1936 | गाँधीजी की प्रेरणी |
| पश्चिम बंग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | कलकत्ता | 1936 | |
| सिन्धु-राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | जयपुर | 1936 | |
| गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | अहमदाबाद | 1937 | |
| महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | पुणे | 1937 | |
| बम्बई प्रान्ती राष्ट्रभाषा प्रचार सभा | बम्बई | 1937 | |
| उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा | कटक | 1937 | |
| असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | शिलांग | 1937 | |
| विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | नागपुर | 1938 | |
| मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | इम्फाल | 1940 | |
| कर्नाटक प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | हुबली | 1947 | |
| दिल्ली प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | दिल्ली | 1948 | |
| बेलगाँव जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | बेलगाँव | 1951 | |
| मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | भोपाल | 1952 | |
| मराठवाड़ा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | औरंगाबाद | 1956 | |
| जम्मू-कश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | श्रीनगर | 1956 | |
| पंजाब प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | अबोहर | 1958 | |
| बम्बई हिन्दी विद्यापीठ | बम्बई | 1938 | |
| मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद् | बंगलौर | 1943 | |
| भारतीय हिन्दी परिषद् | प्रयाग | 1943 | |
| महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा | पुणे | 1945 | |
| अखिल भारतीय हिन्दी परिषद् | नई दिल्ली | 1949 | |
| बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् | पटना | 11 अप्रैल 1947 | |
| उत्तर प्रदेश हिन्दी-समिति | लखनऊ | 1950 | डॉ. सम्पूर्णानन्द |

**अन्य हिन्दी संस्थाएँ**

राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में संलग्न अन्य अनेक संस्थाएँ हैं जो अपने ढंग से कार्य कर रही हैं। इनमें से कतिपय निम्नलिखित हैं-

1- केरल हिन्दी प्रचार सभा, तिरुअनन्तपुरम् (केरल)
2- कर्नाटक हिन्दी प्रचार सभा, धारवाड़ (कर्नाटक)
3- कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बेंगलोर (कर्नाटक)
4- वीरेन्द्र केशव साहित्य परिषद्, टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश)
5- नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा (उत्तर प्रदेश)
6- नागरी प्रचारिणी सभा, आरा (बिहार)
7- असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी (असम)
8- मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इम्फाल
9- हिन्दी समिति, दारागंज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
10- भारतीय भाषा परिषद्, दारागंज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

# मानक देव नागरी

**- डॉ. शम्भुनाथ त्रिपाठी 'अंशुल'**

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा-मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से देवनागरी लिपि की वर्णमाला का मानकी करण सुनिश्चित किया गया। शिक्षामंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत एवं अन्ततः भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानक वर्णमाला का स्वरूप निम्न लिखित है-

स्वर- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऌ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः।

मात्राएँ- आ-ा, इ-ि, ई- ी, उ-ु, ऊ-ू, ए-े, ऐ-ै, ओ- ो, औ- ौ, अं-.ं , अः- ः।

चूँकि हिन्दी में ॠ, (दीर्घ ऋ) का प्रयोग नहीं होता अतः इसे स्वरों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

व्यञ्जन- कवर्ग- क ख ग घ ङ
चवर्ग- च छ ज झ ञ
टवर्ग- ट ठ ड ढ ण
तवर्ग- त थ द ध न
पवर्ग- प फ ब भ म
यवर्ग- य र ल व श ष स ह
ड़ ढ़ क्ष ज्ञ श्र

संयुक्ताक्षर की स्थितियॉ- व्यञ्जनों के परस्पर संयुक्त होने की कई स्थितियॉ मानक रूप में संकेतित की गई हैं-

(1) खड़ी पाई वाले व्यञ्जन- ख, ग, घ, च, ज, झ, ञ, ण, त, थ, ध, न, प, ब, म, य, ल, व, श, ष, स, क्ष, ज्ञ।

खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त करते समय इनकी खड़ी पाई (ा) को हटा कर ही बनाया जाना चाहिए। जैसे- ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, झज्झर, व्यञ्जन, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सम्य, रभ्य, शय्या, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय, स्वीकृत, यक्ष्मा आदि।

(क) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर बनाने का पूर्ववत् स्वरूप ही निर्धारित किया गया। जैसे- संयुक्त, पक्का, हफ्ता, दफ्तर

(ख) ङ, ट, ठ, ड और द के संयुक्ताक्षर हल् का चिह्न (्) लगाकर ही बनाये जाएँ। बाद में ऐसे प्रयोग भी होने लगे। वाङ्मय, लड्डू, लड्ढा, बुड्ढा, विद्या आदि।

(ग) संयुक्त 'र' के पुराने तीनों रूप यथावत मान्य किये गये। जैसे- प्रकार, धर्म, राष्ट्र

(घ) 'श्र' का पुराना रूप जैसे 'श्री' में है वैसा ही माना गया।

(ङ) अब 'त' और '्र' का संयुक्त अक्षर 'त्र' माना जायेगा। किन्तु कालान्तर में पूर्व प्रचलित रूप 'त्र' भी स्वीकार कर लिया गया।

(च) 'ह' का संयुक्त रूप वर्तमान प्रणाली के साथ ही हल् चिह्न लगाकर किया जा सकेगा। जैसे- चिह्न

(छ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे।

(3) अन्य विशिष्ट बातें- मानकीकरण की दृष्टि से कुछ विशिष्ट निर्णय मान्य किये गये जो इस प्रकार हैं-

(क) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

(ख) फुल स्टाप (पूर्ण विराम) को छोड़कर शेष विराम आदि चिह्नों को यथावत् अंग्रेजी के प्रचलित चिह्नों को ग्रहण किया जाय।

जैसे- ़, -, ;, ।, ?, ., !, :

(विसर्ग को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाय)

(ग) पूर्णविराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाय।

(घ) जहाँ तक सम्भव हो टाइपराइटर के कुँजी-पटल में भी निम्नलिखित चिह्नों को सम्मिलित कर लिया जाय-

. , : % ' ' ( ) + × ÷ - ॰

(ङ) अनुस्वार (ँ) और अनुनासिक (ँ) दोनों प्रचलित रहेंगे।

मानक अंक- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

राष्ट्रपति द्वारा समय-समय दिये गये आदेशों के अनुसार कुछ विशेष प्रयोजनों को छोड़कर सभी सरकारी हिन्दी प्रकाशनों में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग अपेक्षित रहेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय अंक- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि का स्वरूप और क्षमता देने के उद्देश्य से उसमें हिन्दीतर भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ नवीन प्रतीकों का समावेश कर दिया गया है, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं-

(1) काश्मीरी च वर्ग च छ ज झ

(2) सिन्धी भाषा के अन्तः स्फुट व्यंजन ग ज द ब

(3) उर्दू की विशिष्ट ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए तदनुरूप देवनागरी वर्ण के नीचे बिन्दु लगाने का निर्णय लिया गया।

यथा-

काफ़ के लिए क़
खे के लिए ख़
ग़ैन के लिए ग़
जे के लिए ज़
से के लिए स़
फ़े के लिए फ़

इस प्रकार देवनागरी के वर्णों एवं अंकों का मानक स्वरूप निर्धारित किया गया।

देवनागरी लिपि का उद्भव सेंधव अथवा ब्राह्मणी लिपि से स्वीकार किया जाता है। ब्राह्मणी की उत्तरी शैली से गुप्त लिपि और फिर कुटिल लिपि का विकास हुआ। सामान्य नागरी में परंपरागत रूप से जो वर्ण स्वीकार किए गए हैं। सर्वमान्य हैं।

**शहर समता - ब्यूरो प्रमुख**

देहरादून ब्यूरो - निशा अतुल्य,
सतना ब्यूरो - डॉ ऊषा सक्सेना,
रीवां ब्यूरो - साधना तिवारी,
लखनऊ ब्यूरो - मंजु सक्सेना,
जबलपुर ब्यूरो - शैली सेठ,
लुधियाना ब्यूरो - श्रद्धा शुक्ला,
जौनपुर ब्यूरो - डॉ मधु पाठक,
हैदराबाद ब्यूरो -रीना प्रदीप कुमार,
भिलाई ब्यूरो - संध्या चंदेल,
गोरखपुर ब्यूरो - चित्रा श्रीवास्तव,
दिल्ली ब्यूरो - अफरोज़ अजीज,
तिनसुकिया गोलाघाट ब्यूरो - रंजना बिनानी,
प्रयागराज ब्यूरो - डॉ आकांक्षा पाल,
भीलवाड़ा ब्यूरो - डॉ राजमति पोखरना,
इंदौर ब्यूरो - आशा जाकड़,
शिलांग ब्यूरो - डॉ अनीता पंडा,
बिलासपुर ब्यूरो - स्मृति मिश्रा 'रीति,
रायपुर ब्यूरो - सीमा निगम,
कानपुर ब्यूरो - सीमा वर्णिका,
भोपाल ब्यूरो - दीपमाला तिवारी,
दमोह ब्यूरो- भावना शिवहरे,
मण्डला ब्यूरो - डॉ अर्चना जैन
बनारस ब्यूरो - सुनीता जौहरी,
आरा ब्यूरो - सिम्पल सिंह,
बिजनौर ब्यूरो - ऋतुबाला रस्तोगी,
पठानकोट ब्यूरो - क्षमा लाल गुप्ता,
सप्तरी नेपाल ब्यूरो - करुणा झा,
धम्तरी ब्यूरो - कामिनी कौशिक,
रामपुर ब्यूरो - चंद्रिका कुमार 'चांदनी',,
मुरादाबाद ब्यूरो - अभिव्यक्ति सिन्हा,
कटनी ब्यूरो - मीरा भार्गव,
पटना ब्यूरो - अंजू भारती

**संस्थापक**

स्व0 कन्हैया लाल, स्व0 साधना श्रीवास्तव

सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
आरएनआई नं0 UPHIN/2001/3996

उप संपादक
डा0 अरूण कुमार मिश्रा
रचना सक्सेना

Mo. 9005239332
Email-shaharsamta@gmail.com

स्वत्वाधिकारी/मुद्रक/प्रकाशक/सम्पादक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा इण्डियन प्रेस (पलि.) प्रा0लि0, 36 पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर 289/238ए, (अनन्त भवन) कर्नलगंज, इलाहाबाद से प्रकाशित।

इस अंक के प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा समस्त विवादों का निपटारा इलाहाबाद न्यायालय में ही होगा।

# हिन्दी की प्रतिष्ठा

- डॉ. चित्रा चतुर्वेदी

15 अगस्त, 1947 ई. को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, तब आशा की गई कि ब हिन्दी की प्रतिष्ठा राष्ट्रभाषा के रूप में होगी, क्योंकि सर्वत्र स्वतन्त्रता की लहर थी और बहुत से अहिन्दी भाषी नेताओं और विद्वानों ने भी उत्साहपूर्वक हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा के योग्य स्वीकार किया, इनमें श्री सुभाष चन्द्र बोस, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, डा. सुनीति कुमार चटर्जी, श्री बालगंगाधर तिलक, श्रीनिवास शास्त्री, श्री राजगोपाला चारी, डा. रामकृष्ण भण्डारकर, श्री नरसिंह चिन्तामणि, श्रीमती अम्बु जम्बाल, श्री ख्वाजाहसन निजामी तथा जोश मलिहाबादी प्रमुख थे। इस समय तक गाँधी जी हिन्दुस्तानी के ही पूर्ण समर्थक थे, जिसमें उर्दू, फारसी की बहुलता थी, इस प्रकार गाँधीजी के प्रभाव के कारण हिन्दी का संघर्ष हिन्दुस्तानी से था, किन्तु अब स्थिति बदल गई, क्योंकि जिस हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए हिन्दुस्तानी भाषा और नागरी तथा फारसी लिपि का समर्थन हो रहा था, उस एकता के भंग हो जाने और पाकिस्तान बन जाने पर हिन्दुस्तानी भाषा और फारसी लिपि का प्रश्न ही समाप्त हो गया। अधिकांश मुसलमान पाकिस्तान चले गये और शेष जो बचे उन्हें भी छूट थी कि वे चाहें तो वे भी पाकिस्तान चले जायें, किन्तु शेष मुसल मानों ने भारत में ही रहना पसन्द किया।

हिन्दी भाषी प्रदेशों में भी स्वतन्त्रता का उत्साह था, जिसके फलस्वरूप सन् 1947 ई. में उत्तर प्रदेश ने हिन्दी को राजभाषा घोषित कर दिया।

दिसम्बर 1947 में अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का छत्तीसवाँ अधिवेशन मेरठ में आयोजित किया गया। जिसमें डा. सेठ गोविन्ददास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में एक स्थल पर कहा-

'हिन्दी का राष्ट्रभाषा होना इसलिए स्वाभाविक नहीं है कि वह अन्य प्रान्तीय भाषाओं से श्रेष्ठ है। हम अन्य प्रान्तीय भाषाओं को नीची और हिन्दी को उनसे ऊँची नहीं मानते। हिन्दी का राष्ट्रभाषा होना इसलिए स्वाभाविक है कि कुमायूँ से लेकर बस्तर तक और जैसलमेर से बिहार के पूर्वी छोर के अन्तिस ग्राम तक हिन्दी ही लोगों की भाषा है। उसे भारत की 30 करोड़ में से 18 करोड़ जनता बोलती और 22 करोड़ समझती है। संयुक्त प्रान्त (अब उत्तर प्रदेश), बिहार, महाकोशल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की भाषा हिन्दी है। दक्षिण भारत में भी उसका प्रचार अत्यन्त शीघ्रता से हो रहा है।

सन् 1950 ई. में घोषित भारतीय संविधान में राजभाषा विषयक प्रारंभिक अंश इस प्रकार रखा गया है-

'धारा 343 (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तरराष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खण्ड (1) से किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की अवधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती है-

परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग अधिकृत कर संकेंगे।

(3) इन अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा-

(क) अंग्रेजी भाषा का अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसा कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों।

संविधान में राज्यों के विधान मंडलों के लिए उल्लेख है कि-

'धारा 343 अनुच्छेद 246 और 247 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा।

परन्तु जब तक राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा इसके अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।'

सन् 1950 ई. में बिहार प्रदेश ने राजभाषा अधिनियम पारित किया और राजकाज के लिए हिन्दी को पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित करने के लिए 10 वर्ष की अवधि निर्धारित की। इस अधिनियम में नागरीलिपि में लिखी हिन्दी को ही राजभाषा की मान्यता दी गई। सन् 1951 ई. में उत्तर प्रदेश ने भी राजभाषा अधिनियम पारित किया जिसमें राजकाज के लिए नागरीलिपि में लिखित हिन्दी को स्वीकार किया गया। सन् 1952 ई. में राजस्थान प्रदेश ने राजभाषा अधिनियम पारित किया, उसने भी नागरीलिपि में लिखित हिन्दी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की। मध्य प्रदेश (जिसमें उस समय मराठी भाषी जिले भी सम्मिलित थे) ने भी राजभाषा अधिनियम पारित किया जिसमें हिन्दी तथा मराठी दोनों भाषाओं को राजकाज की भाषा की मान्यता दी गई।

यद्यपि सभी प्रदेशों के राजनेताओं ने हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को सहर्ष स्वीकार किया था तो भी कुछ हिन्दी विरोधी सन्तुष्ट नहीं थे, वे राष्ट्रीय एकता के नाम पर अंग्रेजी की वकालत करने लगे, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी के राष्ट्रभाषा पद पर अभिषिक्त होने में तरह-तरह के अड़ंगे पड़ने लगे।

सन् 1961 ई. में 'त्रिभाषा सूत्र' बना, जिसके अनुसार हिन्दीतर प्रदेशों में क्षेत्रीय भाषा, सम्पर्क भाषा हिन्दी और विश्व भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया।

हिन्दी भाषा-भाषी प्रादेशिक भाषा के रूप में हिन्दी, अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में से किसी एक को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्यतः पढ़ें।

सन् 1961 में 'राष्ट्रीय एकता परिषद्' का प्रस्ताव था कि विश्वविद्यालयों में भी उच्च शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा रहे तभी छात्र सरलता से विषय ज्ञान प्राप्त कर अपनी अन्तर्लीन शक्तियों, नैसर्गिक क्षमता और कुशलता का पूर्ण विकास कर सकता है।

सन् 1962 में 'भावात्मक एकता समिति' ने भी राष्ट्रीय एकता परिषद् के उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि अंग्रेजी से ही नहीं जर्मन और रूसी जैसी भाषाओं से भी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में रूपान्तरकर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करने से शिक्षा का स्तर नहीं गिरेगा। सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी की शिक्षा हो जिससे अन्तर्देशीय और अन्तर विश्वविद्यालयी सम्पर्क स्वस्थ रहे।

सन् 1966 के 'कोठारी शिक्षा आयोग' ने अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में जारी रखने की सिफारिश पेश की और इस प्रकार अंग्रेजी को भी हिन्दी के समान आदर दिया।

जो लोग अपनी क्षणिक स्वार्थसिद्धि के लिए देश को अनन्तकाल तक अंग्रेजी की दासता में जकड़े रहना चाहते हैं एवं हिन्दी का विरोध करते हैं, उन्हें क्या कहा जाय? प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जिस पर सम्पूर्ण राष्ट्र को गर्व होता है। आश्चर्य है कि रूस के माननीय प्रधानमन्त्री श्री गोर्बचोव ने अंग्रेजी जानते हुए भी भारत में अपना भाषण अपनी राष्ट्रभाषा रूसी में दिया जिसका हिन्दी में अनुवाद किया गया और हमारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने अपने ही देश में उसी समय अंग्रेजी में भाषण देकर राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुँचाई। जबकि वे हिन्दी जानते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में वोट माँगने के लिए सदैव हिन्दी में भाषण देते और हिन्दी में ही बात करते हैं। इसका क्या अर्थ लिया जाय?

कुछ लोग यह कहते हैं कि अंग्रेजी से ही राष्ट्र की उन्नति हो सकती है, वे भ्रम में हैं। उन्हें रूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चीन आदि से सबक लेना चाहिए। सचिव, कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, चामराजपेट, बेंगलोर ने मार्च, 1990 में अपनी मासिक पत्रिका 'हिन्दी प्रचार वाणी' मेरे पास इलाहाबाद भेजी, जो दस वर्षों से प्रति माह हिन्दी में प्रकाशित हो रही है। उसमें श्री रामेश्वर दयाल दुबे का एक लेख है 'भारतीय नेता और हिन्दी'। उस लेख का एक अंश यहाँ प्रस्तुत है जिससे हमारे नेताओं और अंग्रेजी समर्थक बुद्धिजीवियों का भ्रम दूर हो सके एवं उनमें हिन्दी सीखने की ललक उत्पन्न हो।

वस्तुतः संविधान के निर्णयानुसार सन् 1965 ई. से सम्पूर्ण भारत के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाना था, किन्तु कुछ दक्षिणी बन्धुओं तथा अंग्रेजी भक्तों के विरोध के फलस्वरूप एक अविवेकपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि जब तक सभी प्रदेश हिन्दी में राजकार्य करना न चाहेंगे, हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं रहेगी और वे स्वेच्छा से अंग्रेजी का प्रयोग कर सकेंगे।

लोकतंत्र में बहुमत का सम्मान किया जाता है और उसी के अनुसार नीति निर्धारित की जाती है, विधायक और सांसद भी बहुमत के आधार पर ही निर्वाचित होते हैं, किन्तु उक्त निर्णय इसका अपवाद कहा जा सकता है। चाहिए तो यह था कि जो प्रदेश हिन्दी को तत्काल अपनाने की स्थिति में न होते उन्हें और अधिक सुविधाएँ प्रदानी की जातीं, जिससे वे हिन्दी को शीघ्रातिशीघ्र स्वेच्छा से अपना सकते।

मेरे विचार से प्रारंभ से इण्टरमीडिएट तक सभी प्रदेशों में उनकी प्रादेशिक भाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जानी चाहिए और कक्षा 6 से 12 तक राष्ट्रभाषा हिन्दी भी अनिवार्यत रहनी चाहिए। इसके पश्चात् स्नातक स्तर पर एक प्रश्नपत्र सामान्य हिन्दी और दूसरा भारतीय संस्कृति अनिवार्य होना चाहिए एवं अन्य विषय ऐच्छिक रहने चाहिए। प्रत्येक प्रदेश को अपने प्रदेश के अन्तर्गत सभी सरकारी कार्य अपनी प्रादेशिक भाषा अथवा राष्ट्रभाषा हिन्दी में सुविधानुसार करना चाहिए, किन्तु केन्द्र या अन्य प्रदेश से पत्र-व्यवहार में राष्ट्रभाषा हिन्दी का ही प्रयोग होना चाहिए और यह भी छुट रहनी चाहिए वे चाहें तो राष्ट्रभाषा के साथ-साथ अपनी हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का ही बोलबाला होना चाहिए, किसी विदेशी भाषा का नहीं।

उत्तम तो यह होगा कि सभी प्रदेश देवनागरी लिपि में ही अपनी प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करें तो हिन्दी प्रदेशों को भी उसे पढ़ने और समझने में सुविधा होगी एवं उनके बहुत से शब्द हिन्दी में भी आ जाएँगे, जिससे राष्ट्रभाषा के शब्द कोष में वृद्धि होगी।

इधर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायमसिंह यादव ने हिन्दी में ही सरकारी काम-काज करने का आदेश देकर अत्यन्त आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है जिसका अनुकरण अन्य हिन्दीभाषी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह सभी प्रदेशों से सारा पत्र-व्यवहार हिन्दी में करे किन्तु जिस प्रदेश के लोग इच्छुक हों कि उनकी प्रादेशिक भाषा में भी पत्र व्यवहार किया जाय। इस प्रकार सभी प्रादेशिक भाषाओं का आदर करते हुए राष्ट्रभाषा का वर्चस्व स्थापित किया जाय। इससे सम्पूर्ण देश में एकता स्थापित होगी एवं अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ले सकेगी।

आदर्श लिपि के गुण

किसी भी साधारण लिपि में आदर्श लिपि बनने के लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए।-

लिपि में अक्षरों के नाम और उच्चारण समान तथा अभिन्न होने चाहिए।

उदाहरणः देवनागरी लिपि में क, ख, ग, घ आदि का नाम और उच्चारण समान है इसके विपरीत रोमन में अक्षरों के नाम और उच्चारण में अंतर होता है।

एक अक्षर एक ही ध्वनि का वाहक होना चाहिए। कभी-कभी ऐसे लिपि चिह्न भी देखे जाते हैं जिनके उच्चारण का उन से प्रकट होने वाली ध्वनियों से कोई संबंध नहीं होता।

उदाहरणः रोमन का ें 'व' ध्वनि का वाहक है।

आदर्श लिपि लेखन की दृष्टि से सरल होनी चाहिए प्रत्येक मौलिक उच्चारण के लिए विशिष्ट अक्षर अथवा लिपि चिह्न होना चाहिए।

आदर्श लिपि सीखने में सरल व सहज होने चाहिए। अक्षर एक दूसरे से मिल ते-जुलते नहीं होने चाहिए। जिससे एक अक्षर से दूसरे अक्षर में भ्रम पैदा ना हो।

आदर्श लिपि में उच्चारण के लिए एक ही लिपि चिह्न होना चाहिए। देवनागरी लिपि इस दृष्टि से अधिक वैज्ञानिक है।

आदर्श लिपि में कम अक्षर होने चाहिए और वह भाषा को अभिव्यक्त करने में बिल्कुल सशक्त होने चाहिए।

आदर्श लिपि में अनावश्यक चिह्न नहीं होने चाहिए।

एक आदर्श लिपि में सभी अक्षर समान ऊँचाई के होने चाहिए। इसके साथ-साथ उसमें शीघ्र लेखन की भी विशेषता होनी चाहिए इस दृष्टि से नागरी लि पि में शिरोरेखा सबसे बड़ी बाधा है।

एक आदर्श वर्णमाला में अक्षरों का क्रम सहज और उनके आकार के अनुसार होना चाहिए।

देवनागरी लिपि की विशेषताएँ

देवनागरी लिपि अनेक विशेषताओं की स्वामिनी है और वास्तव में यह विश्व की समस्त वर्तमान लिपियों से श्रेष्ठ और वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि में एक आदर्श लिपि होने के सभी गुण विद्यमान हैं। यह लिपि अक्षरात्मक है। भारत की अनेक भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है।

विनोबा भावे ने अपने एक भाषण में कहा था, 'यदि हम सारे देश के लिए देवनागरी लिपि को अपना लें तो हमारा देश बहुत मजबूत हो जाएगा।' फिर तो देवनागरी लिपि ऐसी रक्षा कवच सिद्ध हो सकती है जैसे कोई भी नहीं।

यह लिपि हर संदर्भ एवं स्थिति में उपयुक्त है और इतनी लचीली है कि हर ढाँचे में आसानी से ढल सकती है। देवनागरी लिपि की विभिन्न विशेषताएँ निम्नलि खित हैं:

यह लिपि भाषा के अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक चिह्नों से संपन्न है।

जिसमें परंपरागत रूप से 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त ड़, ढ़, क़, ख़, ग़, ज़, फ़ इन ध्वनियों के लिए भी चिह्न बने हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजनों के लिए अलग चिह्न है।

यह लिपि समस्त प्राचीन भारतीय भाषाओं जैसे- संस्कृत, प्राकृत, पाली एवं अपभ्रंश की भी लिपि रही है।

जो लिपि चिह्न जिस ध्वनि का घोतक है उसका नाम भी वही है जैसे- आ, इ, क, ख आदि। इस दृष्टि से रोमन लिपि में पर्याप्त भ्रम की स्थिति विद्यमान है। जैसे - ए, ए, उ, ें आदि।

हिन्दी में ऋ - रि, श - ष, को छोड़कर शेष सभी ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लि पि चिह्न है।

नागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से समान लिपि चिह्नों में आकृति में भी समानता देखने को मिलती है। रोमन लिपि में यह गुण ना के बराबर है- इ, ब, ु, ँ, ं आदि।

रोमन लिपि में कई बार वर्ण मूक रहते हैं, उनका उच्चारण नहीं किया जाता लेकिन उन्हें लिखा जाता है। जैसे- ख्व्हदै, ख्व्हगि, ऊेर्ल्हैस्र आदि लेकिन देवनागरी लिपि में यह दोष नहीं है। नागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण किया जाता है।

देवनागरी लिपि में रोमन के समान कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का झंझट नहीं है। वास्तव में आदर्श लिपि वही है जिसमें एकरूपता हो।

देवनागरी लिपि में सभी नासिक्य ध्वनियों के लिए अलग-अलग चिह्न है। जैसे रोमन में- ड़, ञ, ण, सभी को ॅ से लिखा जाता है। भारतीय भाषाओं के तृष्णा, विष्णु और प्राणायाम जैसे शब्दों को रोमन में लिख पाना असंभव है।

नागरी में अनुस्वार और चंद्रबिंदु की उपस्थिति इसकी ध्वनि वैज्ञानिक पूर्णता को प्रकाष्ठा पर पहुँचा देती है।

नागरी लिपि में अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता है। जैसे अंग्रेज़ी से- ऑ, क़, ग़, ज़, फ़ आदि।

उत्तर भारत की सभी लिपियाँ नागरी के ही रूप भेद है, यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, मराठी, नेपाली आदि अनेक भाषाओं की लिपि तो है ही साथ ही अन्य भाषा की लिपि होने का सामर्थ्य भी इसमें विद्यमान है।

देवनागरी लिपि सुपाठ्य एवं सुस्पष्ट है अर्थात इस लिपि का पाठ सुंदर रूप में किया जा सकता है। और यह अच्छे तरीके से स्पष्ट भी हो जाती है। देवनागरी लिपि में मुद्रण एवं टंकण के भी विशेष सुविधाएँ हैं।

देवनागरी लिपि की एक अन्य विशेषता यह है कि यह उत्तरी भारत मैं हिमाल य से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा से लेकर बिहार और झारखंड तक फैली हुई है।

इस लिपि में भारत का विपुल साहित्य भंडार भी इसी लिपि में लिखित है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य इसी लिपि में विद्यमान है।

देवनागरी लिपि में अंको को भी लेकर अनेक चमत्कार पूर्ण कविताएं लिखी गई हैं जो अन्य लिपियों के अंको में संभव नहीं है।

इसका वर्तमान रूप नेत्रों के लिए अत्यंत आकर्षक है। इसके साथ साथ यह लिपि वैज्ञानिक और कंप्यूटर की दृष्टि से भी उपयुक्त है।

अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि नागरी लिपि में निश्चित रूप से विश्व का श्रेष्ठ ज्ञान है, और यह लिपि अनेक विशेषताओं की स्वामिनी है।

# देवनागरी का इतिहास

**ओमप्रकाश मिश्र 'शैलेन्द्र'**

- इतिहास

देवनागरी, भारत, नेपाल, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया की लिपियों के ब्राह्मी लिपि परिवार का हिस्सा है। गुजरात से कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी भाषा संस्कृत है और लिपि नागरी लिपि। ये अभिलेख पहली ईसवी से लेकर चौथी ईसवी के कालखण्ड के हैं।

ध्यातव्य है कि नागरी लिपि, देवनागरी से बहुत निकट है और देवनागरी का पूर्वरूप है। अतः ये अभिलेख इस बात के साक्ष्य हैं कि प्रथम शताब्दी में भी भारत में देवनागरी का उपयोग आरम्भ हो चुका था। नागरी, सिद्धम और शारदा तीनों ही ब्राह्मी की वंशज हैं। रुद्रदमन के शिलालेखों का समय प्रथम शताब्दी का समय है और इसकी लिपि की देवनागरी से निकटता पहचानी जा सकती हैं। जबकि देवनागरी का जो वर्तमान मानक स्वरूप है, वैसी देवनागरी का उपयोग 1000 ई के पहले आरम्भ हो चुका था।

मध्यकाल के शिलालेखों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नागरी से सम्बन्धित लिपियों का बड़े पैमाने पर प्रसार होने लगा था। कहीं-कहीं स्थानीय लिपि और नागरी लिपि दोनों में सूचनाएँ अंकित मिलतीं हैं। उदाहरण के लिए, 7वीं-8वीं शताब्दी के पट्टदकल्लु (मन्दिर परिसर) (कर्नाटक) के स्तम्भ पर सिद्धमात्रिका और तेलुगु-कन्नड लिपि के आरम्भिक रूप - दोनों में ही सूचना लिखी हुई है। कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के ज्वालामुखी अभिलेख में शारदा और देवनागरी दोनों में लिखा हुआ है।

7वीं शताब्दी तक देवनागरी का नियमित रूप से उपयोग होना आरम्भ हो गया था और लगभग 1000 ई तक देवनागरी का पूर्ण विकास हो गया था।

डॉ॰ द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट (700-800 ई.) के शिलालेख में मिलता है। आठवीं शताब्दी में चित्रकूट, नवीं में बड़ौदा के ध्रुवराज भी अपने राज्यादेशों में इस लिपि का उपयोग किया हैं।

758 ई. का राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग का सामगढ़ ताम्रपट मिलता है जिस पर देवनागरी अंकित है। शिलाहारवंश के गंडारादित्य प्रथम के उत्कीर्ण लेख की लिपि देवनागरी है। इसका समय बारहवीं शताब्दी हैं। ग्यारहवीं शताब्दी के चोलराजा राजेन्द्र के सिक्के मिले हैं जिन पर देवनागरी लिपि अंकित है। राष्ट्रकूट राजा इंद्रराज (दसवीं शताब्दी) के लेख में भी देवनागरी का व्यवहार किया है। प्रतिहार राजा महेंद्रपाल (891-907) का दानपत्र भी देवनागरी लिपि में है।

कनिंघम की पुस्तक में सबसे प्राचीन मुसलमानों सिक्के के रूप में महमूद गजनवी द्वारा चलाये गए चांदी के सिक्के का वर्णन है जिस पर देवनागरी लिपि में संस्कृत अंकित है। मुहम्मद विनसाम (1192-1205) के सिक्कों पर लक्ष्मी की मूर्ति के साथ देवनागरी लिपि का व्यवहार हुआ है। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश (1210-1235) के सिक्कों पर भी देवनागरी अंकित है। सानुद्दीन फिरोजशाह प्रथम, जलालुद्दीन रज़िया, बहराम शाह, अलाऊद्दीन मसूदशाह, नासिरुद्दीन महमूद, मुईजुद्दीन, गयासुद्दीन बलवन, मुईजुद्दीन कैकूबाद, जलालुद्दीन हीरो सानी, अलाउद्दीन महमद शाह आदि ने अपने सिक्कों पर देवनागरी अक्षर अंकित किये हैं। अकबर के सिक्कों पर देवनागरी में 'राम' सिया का नाम अंकित है। गयासुद्दीन तुग़लक़, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह, मुहम्मद आदिलशाह, गयासुद्दीन इब्ज, ग्यासुद्दीन सानी आदि ने भी इसी परम्परा का पालन किया।

भाषाविज्ञान की दृष्टि से देवनागरी भाषावैज्ञानिक दृष्टि से देवनागरी लिपि अक्षरात्मक (सिलेबिक) लिपि मानी जाती है। लिपि के विकाससोपानों की दृष्टि से 'चित्रात्मक', 'भावात्मक' और 'भावचित्रात्मक' लिपियों के अनन्तर 'अक्षरात्मक' स्तर की लिपियों का विकास माना जाता है। पाश्चात्य और अनेक भारतीय भाषाविज्ञानविज्ञों के मत से लिपि की अक्षरात्मक अवस्था के बाद अल्फाबेटिक (वर्णात्मक) अवस्था का विकास हुआ। सबसे विकसित अवस्था मानी गई है ध्वन्यात्मक(फोनेटिक) लिपि की। 'देवनागरी' को अक्षरात्मक इसलिए कहा जाता है कि इसके वर्ण- अक्षर (सिलेबिल) हैं- स्वर भी और व्यंजन भी। 'क', 'ख' आदि व्यंजन सस्वर हैं- अकारयुक्त हैं। वे केवल ध्वनियाँ नहीं हैं अपितु सस्वर अक्षर हैं। अतः ग्रीक, रोमन आदि वर्णमालाएँ हैं। परंतु यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि भारत की 'ब्राह्मी' या 'भारती' वर्णमाला की ध्वनियों में व्यंजनों का 'पाणिनि' ने वर्णसमाम्नाय के 14 सूत्रों में जो स्वरूप परिचय दिया है- उसके विषय में 'पतंजलि' (द्वितीय शताब्दी ई.पू.) ने यह स्पष्ट बता दिया है कि व्यंजनों में संनियोजित 'अकार' स्वर का उपयोग केवल उच्चारण के उद्देश्य से है। वह तत्वतः वर्ण का अंग नहीं है। इस दृष्टि से विचार करते हुए कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि की वर्णमाला तत्वतः ध्वन्यात्मक है, अक्षरात्मक नहीं।

**नोट करें -**

इनमें से ळ (मूर्धन्य पार्श्विक अन्तस्थ) एक अतिरिक्त व्यञ्जन है जिसका प्रयोग हिन्दी में नहीं होता है। मराठी, वैदिक संस्कृत, कोंकणी, मेवाड़ी, हरयाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खडी बोली इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है।

संस्कृत में ष का उच्चारण ऐसे होता थाः जीभ की नोक को मूर्धा (मुँह की छत) की ओर उठाकर श जैसी आवाज़ करना। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनि शाखा में कुछ वाक़्यात में ष का उच्चारण ख की तरह करना मान्य था। यदि यह 'ट्, ठ्, ड्, ढ्' ध्वनियों से पहले न आए तो इसका उच्चारण आजकल हिंदी में तालव्य (श) होता है। हिन्दी में ण का उच्चारण ज़्यादातर ड़ँ की तरह होता है, यानि कि जीभ मुँह की छत को एक ज़ोरदार ठोकर मारती है। पर संस्कृत में ण का उच्चारण न की तरह बिना ठोकर मारे होता था, अन्तर केवल इतना कि जीभ ण के समय मुँह की छत को छूती है।

**पुरानी देवनागरी**

पुराने समय में प्रयुक्त हुई जाने वाली देवनागरी के कुछ वर्ण आधुनिक देवनागरी से भिन्न हैं।

| आधुनिक देवनागरी | पुरानी देवनागरी |
|---|---|
| अ | अ |
| झ | झ |
| ण | ण |
| ल | ल |

बहुत से लोगों का विचार है कि भारत में अनेकों भाषाएँ होना कोई समस्या नहीं है जबकि उनकी लिपियाँ अलग-अलग होना बहुत बड़ी समस्या है। न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र (1848 - 1917) ने भारत जैसे विशाल बहुभाषा-भाषी और बहुजातीय राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से 'एक लिपि विस्तार परिषद' की स्थापना की थी और परिषद की ओर से 1907 में 'देवनागर' नामक मासिक पत्र निकाला था जो बीच में कुछ व्यवधान के बावजूद उनके जीवन पर्यन्त अर्थात सन 1917 तक निकलता रहा।

गांधीजी ने 1940 में गुजराती भाषा की एक पुस्तक को देवनागरी लिपि में छपवाया और इसका उद्देश्य बताया था कि मेरा सपना है कि संस्कृत से निकली हर भाषा की लिपि देवनागरी हो।

इस संस्करण को हिंदी में छापने के दो उद्देश्य हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि, गुजराती पढ़ने वालों को देवनागरी लिपि में पढ़ना कितना अच्छा लगता है। मैं जब दक्षिण अफ्रीका में था तब से मेरा स्वप्न है कि संस्कृत से निकली हर भाषा की एक लिपि हो, और वह देवनागरी हो। पर यह अभी भी स्वप्न ही है। एक-लिपि के बारे में बातचीत तो खूब होती हैं, लेकिन वही 'बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे' वाली बात है। कौन पहल करे ! गुजराती कहेगा 'हमारी लिपि तो बड़ी सुन्दर सलोनी आसान है, इसे कैसे छोडूंगा?' बीच में अभी एक नया पक्ष और निकल के आया है, वह ये, कुछ लोग कहते हैं कि देवनागरी खुद ही अभी अधूरी है, कठिन है; मैं भी यह मानता हूँ कि इसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन अगर हम हर चीज़ के बिलकुल ठीक हो जाने का इंतज़ार करते रहेंगे तो सब हाथ से जायेगा, न जग के रहोगे न जोगी बनोगे। अब हमें यह नहीं करना चाहिए। इसी आजमाइश के लिए हमने यह देवनागरी संस्करण निकाला है। अगर लोग यह (देवनागरी में गुजराती) पसंद करेंगे तो 'नवजीवन पुस्तक' और भाषाओं को भी देवनागरी में प्रकाशित करने का प्रयत्न करेगा।

इस साहस के पीछे दूसरा उद्देश्य यह है कि हिंदी पढ़ने वाली जनता गुजराती पुस्तक देवनागरी लिपि में पढ़ सके। मेरा अभिप्राय यह है कि अगर देवनागरी लिपि में गुजराती किताब छपेगी तो भाषा को सीखने में आने वाली आधी दिक्कतें तो ऐसे ही कम हो जाएँगी।

इस संस्करण को लोकप्रिय बनाने के लिए इसकी कीमत बहुत कम राखी गयी है, मुझे उम्मीद है कि इस साहस को गुजराती और हिंदी पढ़ने वाले सफल करेंगे।

इसी प्रकार विनोबा भावे का विचार था कि- हिन्दुस्तान की एकता के लिये हिन्दी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी भाषाएँ देवनागरी में भी लिखी जाएं। सभी लिपियां चलें लेकिन साथ-साथ देवनागरी का भी प्रयोग किया जाये। विनोबा जी 'नागरी ही' नहीं 'नागरी भी' चाहते थे। उन्हीं की सद्प्रेरणा से 1975 में नागरी लिपि परिषद की स्थापना हुई।

विश्वलिपि के रूप में देवनागरी

बौद्ध संस्कृति से प्रभावित क्षेत्र नागरी के लिए नया नहीं है। चीन और जापान चित्रलिपि का व्यवहार करते हैं। इन चित्रों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण भाषा सीखने में बहुत कठिनाई होती है। देववाणी की वाहिका होने के नाते देवनागरी भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर चीन और जापान के लिए भी समुचित विकल्प दे सकती है। भारतीय मूल के लोग संसार में जहां-जहां भी रहते हैं, वे देवनागरी से परिचय रखते हैं, विशेषकर मारीशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो आदि के लोग। इस तरह देवनागरी लिपि न केवल भारत के अंदर सारे प्रांतवासियों को प्रेम-बंधन में बांधकर सीमोल्लंघन कर दक्षिण-पूर्व एशिया के पुराने वृहत्तर भारतीय परिवार को भी 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' अनुप्राणित कर सकती है तथा विभिन्न देशों को एक अधिक सुचारू और वैज्ञानिक विकल्प प्रदान कर 'विश्व नागरी' की पदवी का दावा इक्कीसवीं सदी में कर सकती है। उस पर प्रसार लिपिगत साम्राज्यवाद और शोषण का माध्यम न होकर सत्य, अहिंसा, त्याग, संयम जैसे उदात्त मानवमूल्यों का संवाहक होगा, असत से सत, तमस से ज्योति तथा मृत्यु से अमरता की दिशा में।देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएँ तथा कई विदेशी भाषाएँ लिखी जाती हैं। यह बायें से दायें लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे 'शिरोरेखा' कहते हैं। संस्कृत, पालि, हिन्दी, मराठी, कोङ्कणी, सिन्धी, कश्मीरी, हरियाणवी डोगरी, खस, नेपाल भाषा (तथा अन्य नेपाली भाषाएँ), तमाङ्ग भाषा, गढ़वाली, बोडो, अङ्गिका, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, सन्थाली, राजस्थानी बघेली आदि भाषाएँ और स्थानीय बोलियाँ भी देवनागरी में लिखी जाती हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पञ्जाबी, बिष्णुपुरिया मणिपुरी, रोमानी और उर्दू भाषाएँ भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है। यह दक्षिण एशिया की 170 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त हो रही है।

लिपि-विहीन भाषाओं के लिये देवनागरी

दुनिया की कई भाषाओं के लिये देवनागरी सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है क्योंकि यह यह बोलने की पूरी आजादी देता है। दुनिया की और किसी भी लिपि में यह नहीं हो सकता है। इन्डोनेशिया, विएतनाम, अफ्रीका आदि के लिये तो यही सबसे सही रहेगा। अष्टाध्यायी को देखकर कोई भी समझ सकता है की दुनिया में इससे अच्छी कोई भी लिपि नहीं है। अगरस दुनिया पक्षपातरहित हो तो देवनागरी ही दुनिया की सर्वमान्य लिपि होगी क्योंकि यह पूर्णतः वैज्ञानिक है। अंग्रेजी भाषा में वर्तनी (स्पेलिंग) की विकराल समस्या के कारगर समाधान के लिये देवनागरी पर आधारित देवग्रीक लिपि प्रस्तावित की गयी है।

# देवनागरी लिपि और कंप्यूटर

**ब्रह्मानन्द मिश्र**

- कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के 'म्दस्र्ज्ूे' शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है गणना या गिनती करना। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार आंकड़ों को प्राप्त करके उनका संसाधन (प्रोसेसिंग) द्वारा प्राप्त परिणाम को निर्गम (दलूज्लू) इकाई द्वारा विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करती है तथा आंकड़ों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखती है। वर्तमान समय में कंप्यूटर का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना है, और यह लगभग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। विद्वानों ने इसे संगणक नाम दिया है।

भारत में सबसे पहला कंप्यूटर 1955 ई. में आया था। आज बिजली, टेलीफोन के बिल, उद्योग जगत, रेल हवाई यात्रा की टिकट बुकिंग आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का दखल है।

पहले कंप्यूटर में रोमन लिपि का बोलबाला था लेकिन वर्तमान समय में देवनागरी में समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हिन्दी का पहला द्विभाषी कंप्यूटर 'सिद्धार्थ' बना। यह रोमन और देवनागरी दोनों में काम कर सकता था। बाद में 'लिपि' नाम से एक और विकसित कंप्यूटर तैयार किया गया, जिनमें रोमन के साथ-साथ नागरी, तमिल, मराठी आदि में से दो लिपियों की व्यवस्था संभव है।

वर्तमान युग में कंप्यूटर में महत्व इंटरनेट का है, वर्तमान में नेट पर देवनागरी में प्रकाशित होने वाले अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। जैसे-हंस, आजकल, नया ज्ञान उदय, सहृदय, सहचल आदि इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। हिन्दी में अनेक पुस्तकें भी नेट पर उपलब्ध हैं और उनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। अब तो ऑनलाइन फ़ॉर्म भरने की सुविधा भी नागरी में उपलब्ध है। इसके साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएँ एवं परीक्षाएं भी इंटरनेट के माध्यम से ली जा रही हैं।

**सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति**

राजभाषा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी सॉफ्टवेयर विकसित किए जिससे इच्छुक कर्मचारी आसानी से अपना काम कर सकें। इसमें एक सॉफ़्टवेयर है मंत्रराजभाषा जो अंग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद के लिए सहायक है। इसके अलावा हिन्दी सीखने का ऑनलाइन पाठ्यक्रम है लीला जिसे अंग्रेज़ी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की सहायता से सीख सकते हैं।

सूचना क्रांति के युग में मल्टीमीडिया गुरु भी कभी उपयोगी सिद्ध हुआ है। 'युनिकॉर्ड टेक्नोलॉजी' नागरी के लिए वरदान स्वरूप आई है। हिन्दी में पहले भी चाणक्य और कृति देव जैसे सॉफ्टवेयर से काम हो रहा था। यूनिकॉर्ड ने तो कंप्यूटर और लिपि के संबंध को पुनः व्याख्यित कर दिया है। यूनिकोड 16 बिल का कोड है, जिसमें 65536 संकेत उपलब्ध हैं। इसमें में विश्व की लगभग सभी भाषाओं में काम संभव है।

यूनिकोड से कार्य में एकरूपता आती है तथा अलग-अलग प्रकार के फ़ॉण्ट से मुक्ति मिलती है। आज कार्यालयों के सभी कार्य देवनागरी में सरलता से संभव है। हिन्दी की फाइलों का आदान-प्रदान सहज रूप से हो रहा है। यूनिकोड का प्रचलित फ़ॉण्ट 'मंगल' है। यूनिकोड आधारित हिन्दी, देवनागरी, IME TOOL आदि जैसे उपकरणों की सहायता से टंकित की जा सकती है।

कंप्यूटर में नागरी लिपि के प्रयोग का प्रथम प्रयास इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद द्वारा किया। वर्तमान समय में कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा 40 से अधिक हिन्दी के सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिनमें अक्षर प्रकाशक सुलिपि, इंडिका और मल्टिवर्ड आदि प्रमुख हैं। कुछ संस्थाएं भी इस प्रयास में लगी हुई है जिनमें आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और केंद्रीय हिन्दी संस्थान दिल्ली प्रमुख हैं।

वर्तमान समय में कंप्यूटर पर यूनिकोड में देवनागरी अथवा हिन्दी टंकण की तीन विधियां प्रचलित हैंः

**रोमिंगटन टंकण शैली**

इसका कीबोर्ड रोमिंगटन टाइपराइटर की कीबोर्ड के समान है। जिन लोगों ने पहले टंकण सीख रखी है उनके लिए यह सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें जिस वर्णक्रम में पाठ दिखाई देता है उसी तरह से उसे टंकित भी किया जा सकता है।

**TOE Ì फोनेटिक**

इसमें सभी भारतीय भाषाओं के वर्णों के लिए समरूपता है। जैसे, कीबोर्ड पर इ्ध्ऊ सभी भारतीय भाषाओं में प और ट की कुँजियाँ होंगी। इस टंकण शैली का सिद्धांत है जिस क्रम में पाठ का उच्चारण किया जाता है उसी वर्णक्रम में उसे टंकित करना। इस टंकण शैली की विशेषता है कि इसमें व्यक्ति रोमन अथवा अंग्रेज़ी के ज्ञान के बिना भी नागरी अथवा अन्य भारतीय लिपियों में टंकण कार्य कर सकता है।

**फोनेटिक इंग्लिश / रोमानिल्ड लेआउट**

जगदीप सिंह दांगी के अनुसार, इसका ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण आधारित कीबोर्ड लेआउट कंप्यूटर का वास्तविक कीबोर्ड लेआउट ध्ैंं यह एक लिप्यंतरण विधि है जिससे की हिन्दी आदि भारतीय लिपि को आपस में तथा रोमन में बदला जाता है। इस टंकण शैली में प्रियोगकर्ता हिन्दी टेक्स्ट को रोमन लिपि में टंकित करता है और यह देवनागरी में धवन्यात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है।

उदाहरणः विचार - Vichar

इस प्रकार हिन्दी ने अति अल्प समय में कंप्यूटर के क्षेत्र में आशाजनक वृद्धि की है। जैसे-जैसे यह तकनीक विकसित होगी और भारतीय जनता के सभी वर्गों तक इसकी पहुँच होगी तो निश्चित रूप से भारत प्रगति की राह पर होगा, और इस प्रकार नागरिक क्षेत्र में कंप्यूटर का भविष्य उज्ज्वल होगा।

से हिन्दी का जन्म हुआ। आठवीं शती में सिद्धों की अवहट्ट भाषा से हिन्दी अपना आकार ग्रहण करती है। अवहट्ट को पुरानी हिन्दी भी कहा गया है।

वेबसाइट
https://kumbh.gov.in/

मोबाइल ऐप
Mahakumbhmela 2025

आओ चलें महाकुम्भ

13 जनवरी, पौष पूर्णिमा से
26 फरवरी, महाशिवरात्रि तक

मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के साक्षी बनें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP